



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241431
CG-DL-E-27122022-241431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5823]
No. 5823]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6066(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) के साथ पठित काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के प्रयोजनार्थ, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा निम्नलिखित न्यायालयों को उड़ीसा राज्य में विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात:-

सारणी

क्रम.सं.	न्यायालय	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटक	कटक, जाजपुर, केन्द्रापाड़ा, खुर्दा, नयागढ़, मयूरभंज, बालासौर, भद्रक, जगतसिंहपुर और पूरी

2.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरहमपुर	गंजम, गजपति, कंधमाल, बौध, रायगढ़, कोरापुट, मल्कानगिरि, नबरंगपुर, कालाहांडी और नौपाड़ा
3.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राउरकेला	अंगुल, बोलंगीर, बरगढ़, देवगढ़, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, क्योंझर, संबलपुर, सोनपुर और सुंदरगढ़

[अधिसूचना संख्या 127/2022/फा. सं. 285/29/2022-आईटी (अन्वेषण-V)/सी.बी.डी.टी.]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण), सी.बी.डी.टी.